(A29)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी : श्यामसुन्दर बिश्नोई आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : वाद 70/2018 (2018/00096)

अन्तर्गत

लक्ष्मण लाल पिता स्व. गैरू जी जाट निवासी ओरडी तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

— वादी

बनाम

1- श्रीमती झमकू पत्नी शम्भूलाल जी जाट निवासी ओरडी
2- शम्भूलाल पिता गैरू जी जाट निवासी ओरडी
3- कमलाबाई पत्नी मोतीलाल जाट (पुत्री गैरू जी जाट) निवासी आरलोडा तहसील भदेसर जिला चित्तौड़गढ़
4- बरदू पिता स्व. हजारी जी जाट निवासी ओरडी
5- माधु पिता गणेश जाट निवासी ओरडी
6- बाली पत्नी उंकार जी जाट (पुत्री गणेश जाट नि. अरनियापंथ
7- डालू पिता रोडजी जाट निवासी ओरडी
8- रामलाल पिता चम्पालाल जी जाट निवासी ओरडी
9- गोवर्धन पिता चंपालाल जी जाट निवासी ओरडी
10- भूमिधारी तहसीलदार चित्तौड़गढ़

— प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88-188 R.T.A 1955

उपस्थिति : श्री बसन्तीलाल पेरवरना अधिवक्ता वादी

निर्णय

दिनांक 22/09/2022

संक्षेप में विवरण प्रकरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी के पितामह अर्थात दादाजी हजारी पिता धुला जाट थे जिनका .... लगातार

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

देहान्त सन् 1984 के लगभग होगया । वादी का सजरा निम्नानुसार है -

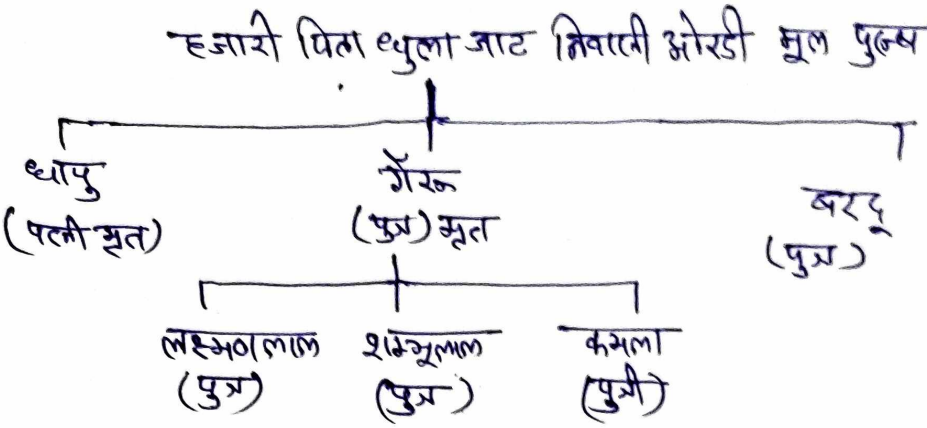

हजारी पिता धुला जाट निवासी ओरडी मूल पुरुष

- धापु (पत्नी मृत)
- भैरू (पुत्र) मृत
  - लक्ष्मणलाल (पुत्र)
  - शंभूलाल (पुत्र)
  - कमला (पुत्री)
- बरदू (पुत्र)

उक्त हजारी पिता धुला जाट निवासी ओरडी के देहान्त के पश्चात उसके खातेदारी अधिकार व कब्जे की ग्राम ओरडी स्थित समस्त आराजीयात हजारी जाट के बजाय विरासत से हजारी जाट की पत्नी धापु ; हजारी जाट के पुत्र वादी के पिता भैरू एवं अन्य पुत्र बरदू प्रतिवादी संख्या 4 के नाम पर राजस्व रेकार्ड मे नामान्तरित हुई, जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

(अ)- खाता सं. 22 आ. नं. 185 रकबा 0.04 हे. आ.चा.

(ब)- खाता सं. 21 आ. नं. 225 रकबा 0.08 हे. आ.चा.

(स)- खाता सं. 23

आ.नं.	रकबा	किस्म
187	0.32	चाही ए
189	0.30	चाही ए
211	0.14	चाही ए
219	0.09	चाही ए
222	0.26	चाही ए
256	0.43	बीड
257	0.34	बीड
311	0.44	चाही ए
312	0.62	चाही ए
313	0.20	चाही ए
10	3.14	

न्यायालय सहायक कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

......लगातार

Scanned with AnyScanner

A30

गेरू पिता स्व॰ हजारी जाट निवासी ओरडी का निधन 6-4-2018 हो गया है। वादी स्व॰ गेरू का जायन्दा पुत्र है। गेरू की पत्नी धापूबाई का भी देहान्त हो चुका है।

उपरोक्त खण्ड 'अ' मे वर्णित आराजी 185 रकबा 0.04 हे. मे स्व॰ गेरू का 1/3 हिस्सा था उसमे से वादी का 1/9 हिस्सा खातेदारी पैदाइशी हक अधिकार विधि अनुसार है क्योंकि यह पैतृक आराजी है जो हजारी पिता धुला जाट के निधन के पश्चात गेरू जी को 1/3 हक हिस्से से प्राप्त हुई। इसी प्रकार खण्ड 'ब' मे वर्णित आ.नं. 225 रकबा 0.08 हे. मे भी स्व॰ गेरू का 1/9 हक हिस्सा मे से वादी का 1/27 वा हिस्सा निहित है क्योंकि यह पैतृक आराजी है जो हजारी पिता धुला जाट के निधन के पश्चात गेरू जी को 1/9 हक हिस्से से प्राप्त हुई। इसी प्रकार 'खण्ड 'स' मे वर्णित आराजीयात कीता 10 रकबा 3.14 हे. मे स्व॰ गेरू का 1/2 हिस्सा था जिसमे वादी का 1/6 हिस्सा निहित है, क्योंकि यह पैतृक आराजीयात है जो हजारी पिता धुला जाट के निधन के पश्चात गेरू जी के 1/2 हक हिस्से खातेदारी मे विरासत से प्राप्त हुई।

विधि अनुसार खण्ड "अ" "ब" "स" मे वर्णित आराजीयात मे से गेरू जी को अपने हक हिस्से की भूमि को सम्पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने या दान आदि करने का कोई वैधानिक अधिकार नही था क्योंकि यह गेरू जी की स्व अर्जित आराजीयात न होकर गेरू जी को उनके पिता हजारी जाट से विरासत से प्राप्त हुई और चूंकि वादी मूल पुरुष हजारी पिता धुला जाट निवासी ओरडी का पौत्र एवं स्व॰ गेरू जी का जायन्दा पुत्र है, इस कारण

---- लगातार

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

(A31)

इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि मे वादी का हक हिस्सा व खातेदारी अधिकार वैधानिक रूप से निहित होने से खण्ड "अ" मे वर्णित आराजी मे 1/9 खण्ड "ब" मे वर्णित आराजी मे 1/27 एवं खण्ड "स" मे वर्णित आराजीयात मे 1/6 हक हिस्सा है। वादी पैदाइशी हक हिस्से के वैधानिक अधिकार से काबिज हो उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। वादी के वैधानिक अधिकारों व संयुक्त कब्जे के विपरीत बिना वादी की सहमति एवं जानकारी के चुपके चुपके वादी के पिता स्व. गेरू पिता हजारी जाट ने खण्ड "अ" "ब" "स" मे वर्णित सभी भूमियों मे दर्ज सम्पूर्ण हिस्से को प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती झमकू पत्नी शम्भुलाल जाट को बिना प्रतिफल के बिना किसी पारिवारिक एवं वैधानिक आवश्यकता के अपनी मृत्यु के कुछ समय पूर्व अपनी बीमार अवस्था मे दान कर दिया जिसका गलत व अवैध दान विलेख दिनांक 05/03/2018 को निष्पादित कर सब रजिस्ट्रार कार्यालय चित्तौडगढ मे पंजीकृत करा दिया जो वादी के विधि अनुसार पैदाइशी हक अधिकार व हिस्सा खातेदारी के मुकाबले प्रभावहीन व शुन्य है। वादी को इस दान पत्र को सक्षम दीवानी न्यायालय मे चुनौती देकर निरस्त कराने की कतई आवश्यकता नही है क्योंकि वादी का हक हिस्सा खातेदारी तो हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 द्वारा पैदाइशी हक हिस्सा है केवल मात्र वादी को अपने हिस्से की घोषणा कराने की ही आवश्यकता है अतः घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने हेतु यह वाद पत्र पेश है। वादी का पैदाइशी हक हिस्सा खातेदारी होकर वादी संयुक्त रूप से मौके पर काबिज होकर काश्त कर रहा है, जिसमे व्यवधान डालने का भी अधिकार नही होने से यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य हुआ है।

-----लगातार

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ़ — सत्यमेव जयते — जिला चित्तौडगढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

दिनांक 05/3/2018 को दान पत्र पंजीकृत करा, उसके आधार पर गलत नामान्तरण खोला गया जो वादी के हक अधिकार व हिस्सा खातेदारी एवं संयुक्त कब्जे के विपरीत एवं प्रभावहीन, शून्य होने से वाद कारण दिनांक 05/3/2018 से पैदा होकर निरन्तर जारी है। अन्त में वाद वादी स्वीकार किया जाकर खण्ड "अ" में वर्णित आराजी में 1/9 हक हिस्सा, खण्ड "ब" में वर्णित आराजी में 1/27 हक हिस्सा तथा खण्ड "स" में वर्णित आराजीयात में 1/6 हक हिस्सा वादी के खातेदारी घोषित कर वादी का हिस्सा जमाबन्दी में अंकित करवाया जाने एवं वादी को बेदखल नहीं करने बाबत विरूद्ध प्रतिवादीगण स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री पारित करने बाबत निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 से 9 के बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से दिनांक 13/9/2021 को इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादी ने बयान शपथ पत्र प्रस्तुत कर दस्तावेज मौजा ओरडी के खाता संख्या 22 की नकल जमाबन्दी, खाता संख्या 21 की नकल जमाबन्दी, खाता संख्या 23 की नकल जमाबन्दी, नकल जमाबन्दी सम्वत 2041-2044, नकल जमाबन्दी सम्वत 2048-2051, नकल जमाबन्दी 2041-2044, रजिस्टर्ड दान पत्र क्रमशः प्रदर्श 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 प्रदर्शित करवाये। बहस प्रथम अधिवक्ता वादी सुनी गयी।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन कर अधिवक्ता वादी की बहस पर चिन्तन मनन किया। वादग्रस्त आराजीयात में वादी के पिता भैरू को अपने पिता

.....लगातार

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

A33

हजारी पिता धुला जाट से हक हिस्सा प्राप्त हुआ है, जिसकी पुष्टि नकल जमाबन्दी प्रदर्श 4 से होती है इससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त आराजी मे गैरू का जो हक हिस्सा था वो उनका स्वअर्जित नही होकर पैतृक था। इस प्रकार स्व. गेरू की पैतृक कृषि भूमि होने से वादग्रस्त कृषि भूमि मे निहित अपने हक हिस्से बाबत दान पत्र पंजीकृत कराने का कोई अधिकार नही था। वादग्रस्त भूमि पैतृक भूमि होने से वादी का हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 अनुसार वादग्रस्त भूमि मे पैदाइशी अधिकार है। वादी के हक व अधिकार के मुकाबले स्व. गैरू द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष मे निष्पादित किया गया दान पत्र प्रभावहीन व शून्य है। अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ओरडी प.ह. जालमपुरा तहसील चित्तौड़गढ़ स्थित आराजी संख्या 185 रकबा 0.0400 हे. मे वादी का 1/9, आराजी संख्या 225 रकबा 0.0800 हे. मे वादी का 1/27, तथा आराजी संख्या 187, 189, 211, 219, 222, 256, 257, 311, 312, 313 कीता 10 कुल रकबा 3.1400 हे. मे 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है एवं उक्त घोषित हक हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है।

निर्णय लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
जिला चित्तौड़गढ़

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़ (राज.)

Scanned with AnyScanner

H34

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **श्याम सुन्दर बिश्नोई** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.लक्ष्मण लाल पिता स्व.गैरू जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ़

—वादी

बनाम

1.श्रीमती झमकू पत्नी शम्भूलाल जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
2.शम्भूलाल पिता गैरू जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
3.कमलाबाई पत्नी मोतीलाल जाट (पुत्री गैरू जी जाट) नि.भादसौडा तह.भदेसर जिला चित्तौडगढ़
4.बरदू पिता स्व.हजारी जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
5.माधु पिता गणेश जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
6.बाली पत्नी उंकार जी जाट (पुत्री गणेश जाट नि.अरनियापंथ) नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ़
7.डालू पिता दौला जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
8.रामलाल पिता चम्पालाल जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
9.गोवर्धन पिता चम्पालाल जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
10.भूमिधारी तहसीलदार चित्तौडगढ़

—प्रतिवादीगण

प्र.स. 70/2018 (GCMS 2018/00096)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 88—188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री बसन्तीलाल पोखरना की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री – की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ओरडी प.ह. जालमपुरा तहसील चित्तौडगढ स्थित आराजी संख्या 185 रकबा 0.0400 हे. मे वादी का 1/9, आराजी संख्या 225 रकबा 0.0800 हे. मे वादी का 1/27 तथा आराजी संख्या 187, 189, 211, 219, 222, 256, 257, 311, 312, 313 कीता 10 कुल रकबा 3.1400 हे. मे 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है एंव उक्त घोषित हक हिस्सेनुसार राजस्व रेकार्ड मे वादी का नाम अंकित किए जाने के आदेश दिए जाते है।

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। इस वाद के खर्च – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा – को दी जावे। यह आज दिनांक 22.09.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

(मुहर: न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौडगढ, जिला चित्तौडगढ — सत्यमेव जयते)

(श्याम सुन्दर बिश्नोई)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौडगढ (राज.)

Scanned with AnyScanner

मूल वाद मे डिक्री(संशोधित)

(आदेश 20 नियम 6,7 जा.दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ बईजलास श्री **रामचन्द्र खटीक** उपखण्ड अधिकारी एंव सहायक कलक्टर चित्तौडगढ

1.लक्ष्मण लाल पिता स्व.गैरू जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ़

–वादी

बनाम

1.श्रीमती झमकू पत्नी शम्भूलाल जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
2.शम्भूलाल पिता गैरू जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
3.कमलाबाई पत्नी मोतीलाल जाट (पुत्री गैरू जी जाट) नि.भादसौडा तह.भदेसर जिला चित्तौडगढ़
4.बरदू पिता स्व.हजारी जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
5.माधु पिता गणेश जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
6.बाली पत्नी उंकार जी जाट (पुत्री गणेश जाट नि.अरनियापंथ) नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ़
7.डालू पिता दौला जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
8.रामलाल पिता चम्पालाल जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
9.गोवर्धन पिता चम्पालाल जी जाट नि.ओरडी तह.व जिला चित्तौडगढ
10.भूमिधारी तहसीलदार चित्तौडगढ़

–प्रतिवादीगण

प्र.स. 70/2018 (GCMS 2018/00096)
वादपत्र अर्न्तगत धारा 88–188 राज.काश्तकारी अधिनियम 1955

वादी की ओर से वकील श्री बसन्तीलाल पोखरना की, और प्रतिवादी की ओर से वकील श्री – की उपस्थिति मे यह वाद आज दिनांक को अद्योहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है और आदेश डिक्री दी जाती है कि वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम ओरडी प.ह. जालमपुरा तहसील चित्तौडगढ़ स्थित आराजी संख्या 185 रकबा 0.0400 हे. मे वादी का 1/9 , आराजी संख्या 225 रकबा 0.0800 हे. मे वादी का 1/27 तथा आराजी संख्या 187, 189, 211, 219, 222, 256, 257, 311, 312, 313 कीता 10 कुल रकबा 3.1400 हे. मे 1/6 हक हिस्सा घोषित किया जाता है एंव उक्त घोषित हक हिस्सा " प्रतिवादी संख्या 1 श्रीमती झमकू पत्नी शम्भुलाल जाट नि.ओरडी के हिस्सा खातेदारी मे से कम किया जाकर वादी के नाम राजस्व रेकार्ड मे दर्ज किया जावे "
उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड मे अमलदरामद किया जावे। इस वाद के खर्च – प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा – को दी जावे। यह आज दिनांक 04.01.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और मुहर अदालत से जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलेक्टर, चित्तौड़गढ़ सत्यमेव जयते जिला चित्तौड़गढ़

(रामचन्द्र खटीक)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
चित्तौड़गढ़

Scanned with AnyScanner